संख्या क0नि0-5-5466/11-2000-500(82)/2000

प्रेषक,

टी0जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर जिलाधिकारी,
(वित्त एवं राजस्व)
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त उपनिबंधक,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर 2000

विषय- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47क(1) के अन्तर्गत कमी स्टाम्प प्रतीत होने पर सन्दर्भण से पूर्व कमी स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0क0नि0-5-4119-11-2000-500(82)/2000 दिनांक 28-7-2000 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वारा विलेख रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किये जाने पर कमी स्टाम्प शुल्क को निर्धारित करके उसे जमा कराने सम्बन्धी निर्देश जारी किए गये हैं। इस सम्बन्ध में कुछ कार्यालय से प्रक्रियात्मक निर्देश व्यक्त किए गये हैं और यह जानकारी चाही गई है कि किसी निष्पादित विलेख के सम्बन्ध में यह कमी स्टाम्प शुल्क सम्बन्धित निष्पादनकर्ता द्वारा किस प्रकार से जमा किया जाएगा।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह कमी स्टाम्प शुल्क रजिट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किए जाने पर उसी प्रकार से जमा किया जायेगा जैसे धारा-47-क(4) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए जाने पर जमा किया जाता है अर्थात सम्बन्धित निष्पादनकर्ता कमी स्टाम्प शुल्क को सुसंगत लेखा शीर्षक में कोषागार में जमा करके लेखपत्र को ट्रेजरी चालान की पावती सहित रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के सामने पुनः प्रस्तुत कर सकता है। अन्तर सिर्फ इतना होगा कि जहां कलेक्टर के निर्णय में बताई गई कमी स्टाम्प को न जमा करने पर सम्बन्धित धनराशि की राजस्व देयों की भांति वसूली की जा सकती है वहीं रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा आरोपित कमी स्टाम्प को जमा न किए जाने की दशा में वसूली की कार्यवाही नही होगी बल्कि यदि बिना आरोपित धनराशि जमा किये निष्पादनकर्ता पुनः लेखपत्र को रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के पास यह विकल्प होगा कि यदि लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 23 के अन्तर्गत स्वीकार करने योग्य है तो उसे

स्वीकार करके वह बिना रजिस्ट्री किए उसे सम्पत्ति के मूल्यांकन तथा कमी स्टाम्प शुल्क के विधिवत निर्धारण हेतु कलेक्टर को सन्दर्भित कर देगा।

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह०/-
टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या क0नि0-5-5466(1)/11-2000-500(82)/2000 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 आयुक्त स्टाम्प/अपर सचिव राजस्व परिषद, राजस्व भवन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3 समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।

ह०/-
(यू0के0एस0चौहान)
विशेष सचिव